न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 204/2016

रूकमण आदि बनाम शिवदान आदि

प्रार्थना पत्र अं0 आदेश 9 नियम 5 व
आदेश 1 नियम 9 व धारा 151 सी.पी.सी.

ऐडवोकेट (प्रतिवादी प्रार्थी :–श्री अशोक कुमार जांगिड
ऐडवोकेट (वादी) अप्रार्थी :–श्री राकेश सारस्वत

आदेश

दिनांक 23.09.2019

वकील प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अं.आदेश 9 नियम 5 व आदेश 1 नियम 9 व धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उपरोक्त उनवानी वाद को वादीगण ने जब प्रस्तुत किया था उसके साथ सम्मन तलबाना पेश किया था उसके बाद आज दिनांक तक वादीगण ने प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन तलबाना न तो पेश किया है और न ही प्रतिवादीगण की तामिल करवाई है। वादीगण जानबूझकर प्रतिवादीगण की तलबी नही करवाना चाहते हैं और प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 4 की खरीदशुदा कब्जेशुदा भूमि को हडपने के लिए यह अस्पष्ट वाद पत्र पेश किया है। कानूनन सम्मन बिना प्रतिवादीगण की तामिल के लौटने पर उस तारीख से 7 दिन में नये सम्मन तलबाना प्रतिवादीगण की तलबी हेतु न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक है। परन्तु वादीगण ने वादपत्र पेश करने के रोज से आज दिनांक तक प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन तलबाना प्रस्तुत नही किये हैं। अतः प्रतिवादीगणस की तलबी के अभाव में व नये सम्मन के अभाव में वादीगण का उक्त वाद पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत खारीज फरमाया जावे।

दावा दायरी के रोज से उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि ख.न. 119, 120, 887/116, 888/117 कुल रकबा 4.14 है0 वाके ग्राम मोहनबाडी के 2/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार अल्ट्राटेक सीमेन्ट युनिट नवलगढ है जो राजस्व रिकार्ड से प्रमाणित है जिसको भी वादीगण ने आवश्यक पक्षकार नही बनाया है और न ही अपने वाद पत्र में इसका जिक्र किया है। चन्द्रसिंह पुत्र केशरसिंह के नाम 1/3 हिस्सा का राजस्व रिकार्ड रहा है। जो आवश्यक पक्षकार होते हुये भी उसे अपने वाद में वादीगण ने पक्षकार नही बनाया है।

वादीगण ने अपनी बहिने पुष्पा कंवर मंजूकंवर, माफलकंवर, स्वरूपकंवर पुत्रियां माधोसिंह को तथा माधोसिंह के एक पुत्र बजरंगसिंह की पुत्री छोलूकंवर, पिकीकंवर को तथा सोजनसिंह की पुत्रियां मंजूकंवर, मनोहरकवंर, विनोदकंवर को व प्रतापसिंह की पुत्री पूजा कंवर को तथा फतेहसिहं की पुत्रियां अन्तरकंवर, विनोदकंवर को वाद पत्र मे पक्षकार नही बनाया है जो कि वाद में हितबद्ध व आवश्यक पक्षकार है। वादीगण का वाद पत्र विभाजन का वाद पत्र है। कूननन धारा 53 रा.का.अ. के अनुसार बंटवारा के वाद में सभी को–शेयर को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है इनके बिना विभाजन का वाद चल नही सकता। इससे स्पष्ट है कि वादीगण के वाद में मिस जॉइण्डर आफ पार्टिज का दोष है। वादीगण का वाद पत्र आवश्यक पक्षकार के अभाव मे अंतर्गत आदेश 1 नियम 9 सीपीसी के तहत खारीज फरमाया जावे।

वकील वादी अप्रार्थीगण की और से जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही करने पर दिनांक 06.09.19 को जबाब बंद किया गया। वकील वादी द्वारा दिनांक 09.09.19 को जबाब पेश किया गया। वकील प्रतिवादीगण द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। वकील वादी द्वारा बहस में निवेदन किया कि प्रतिवादी नं. 1, 3 व 4 की तरफ से श्री अशोक कुमार जांगिड वकील उपस्थित हो गये तथा प्रतिवादी नं.. 2, 5, 6, 8,, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18 सम्यक तामिल होने के बावजूद उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादी नं. 7, 10, 13, 15 की तलबी शेष रही जिनकी व्यक्तिगत रूप से तामिल नही होने से दिनांक 08.03.19 को माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 08.03.19 को रजिस्टर्ड डाक से तामिल करवाने का आदेश दिया जिसमें आगामी पेशी 23.04.19 को प्रतिवादी नं.

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

4 द्वारा यह प्रार्थना पत्र वादिये के दावे को डिले करने हेतु गलत आधारों पर पेश कर दिया जो खारिज करने योग्य है।

पक्षकारों के संयोजन व कुसंयोजन या पक्षकार नही बनाने का विषय पक्षकारो की लिखित जबाब व साक्ष्य लेखबद्ध होने के बाद किसी व्यकित या संस्था को पक्षकार नही बनाने के विवाद को निर्णय दावे के अंतिम बहस की विषय वस्तु है तथा पार्टी नुक्स का निर्णय दावे की वर्तमान स्टेज पर किया जाना उचित नही है। इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

दावे में प्रतिवादी नं. 7, 10, 13, 15 की तलबी शेष रही जिसके कारण वादिया के दावे को अन्य सभी प्रतिवादीगण के विरूद्ध खारिज किया जाना न्यायोचित नही है तथा प्रार्थना पत्र कानूनी प्रावधानो के विपरीत है व प्रतिवादी नं. 4 द्वारा महज वादिया के दावे को डिले करने हेतु प्रार्थना पत्र गलत रूप से पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र दिनांक 23.04.19 को मय हर्जे खर्चे खारिज किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दो तथ्यो में तलबी प्रतिवादीगण हेतु तलबाना पेश नही करने का प्रा0 प0 अ.आदेश 9 नियम 5सीपीसी का पेश किया गया तथा दूसरा बिन्दू आवश्यक पक्षकारों को संयोजित नही किया जाने के संबंध में आदेश 1 नियम 9 में वर्णित किया गया है। दोनो प्रार्थना पत्र में से सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 5 सीपीसी का विवेचन व निर्णय करना उचित समझता हूं। वकील वादी को प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 5 का प्रस्तुत करने के बाद चार बार अवसर दिये गये हैं परन्तु वादी की और से वास्ते तलबी प्रतिवादीगण सम्मन तलबाना पेश नही किये गये। अतः प्रार्थना पत्र अं.आदेश 9 नियम 5 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा वाद वादीगण खारीज किया जाता है। चूंकि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सीपीसी स्वीकार कर वाद खारिज किया गया है, अतः प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 9 के विवेचन की आश्यकता नही है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दुफतर हो। निर्णय आज दिनांक 23.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23-9-19

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner